इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 546]　　भोपाल, सोमवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2022—आश्विन 11, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2022

क्रमांक 14904-240-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०२२

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) अधिनियम, २०२२

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. उद्धरण तथा धारा १ का संशोधन.
३. मूल अधिनियम में सर्वत्र कतिपय शब्दों का संशोधन.
४. धारा ४ का संशोधन.
५. धारा १९ का संशोधन.
६. धारा २५ का स्थापन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०२२

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) अधिनियम, २०२२

[दिनांक 29 सितम्बर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 3 अक्टूबर, २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, २००७ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

उद्धरण तथा धारा १ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, २००७ (क्रमांक २४ सन् २००७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के उद्धरण और धारा १ की उप-धारा (१) में, शब्द ''व्यावसायिक परीक्षा मण्डल'' के स्थान पर, शब्द ''कर्मचारी चयन मण्डल'' स्थापित किए जाएं.

मूल अधिनियम में सर्वत्र कतिपय शब्दों का संशोधन.

३. मूल अधिनियम में सर्वत्र, शब्द ''व्यावसायिक परीक्षा मण्डल'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द ''कर्मचारी चयन मण्डल'' स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (क) को खण्ड (क क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (क क) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(क) अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग;'';

(दो) खण्ड (क क) में, शब्द ''तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग'' के स्थान पर, शब्द ''तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार'' स्थापित किए जाएं.

(तीन) खण्ड (क क) से (च) तक में, शब्द ''प्रमुख सचिव'' के पूर्व शब्द ''अतिरिक्त मुख्य सचिव या'' अंत:स्थापित किए जाएं.

धारा १९ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १९ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (ख) को खण्ड (ख क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित किए गए खण्ड (ख क) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ख) अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग;'';

(दो) खण्ड (ख क) में, शब्द ''तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग'' के स्थान पर, शब्द ''तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार'' स्थापित किए जाएं.

(तीन) खण्ड (ख क) से (घ) तक में, शब्द ''प्रमुख सचिव'' के पूर्व शब्द ''अतिरिक्त मुख्य सचिव या'' अंत:स्थापित किए जाएं.

६. मूल अधिनियम की धारा २५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— **धारा २५ का स्थापन.**

"२५ मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) अधिनियम, २०२२ के प्रारम्भ होने की तारीख से धारा १ की उपधारा (२) के अधीन, निम्नलिखित आगामी परिणाम होंगे, अर्थात्:— **संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने पर आगामी परिणाम.**

(क) उपर्युक्त तारीख के ठीक पूर्व विद्यमान मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल में विलीन हो जाएगा.

(ख) राज्य सरकार के विद्यमान मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की समस्त आस्तियां और दायित्व मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल में निहित हो जाएंगी.

(ग) विद्यमान मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के या उसके नियंत्रण के अधीन के समस्त कर्मचारी धारा ३ के अधीन स्थापित किए गए मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के कर्मचारी समझे जाएंगे:

परन्तु ऐसे कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें ऐसी रीति में उपान्तरित नहीं की जाएंगी जो कि उनके लिये कम अनुकूल हों;

(घ) विद्यमान मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के समस्त अभिलेख तथा कागज पत्र, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल में निहित हो जाएंगे;

(ङ) विद्यमान मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के अधीन चल रही कोई कार्रवाई या प्रक्रिया मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को निहित हो जाएगी.".

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2022

क्र. -240-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO.1 8 OF 2022

THE MADHYA PRADESH VYAVSAYIK PARIKSHA MANDAL (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of citation and Section 1.
3. Amendment of certain words throughout the principal Act.
4. Amendment of Section 4.
5. Amendment of Section 19.
6. Substitution of Section 25.

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 of 2022

THE MADHYA PRADESH VYAVSAYIK PARIKSHA MANDAL (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022

[Received the assent of the Governor on the 29th Septermer, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 3rd October, 2022.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of citation and Section 1.

2. In the citation and sub-section (1) of Section 1 of the Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal Adhiniyam, 2007 (No. 24 of 2007) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "Vyavsayik Pariksha Mandal", the words "Employees Selection Board" shall be substituted.

Amendment of certain words throughout the principal Act.

3. Throughout the principal Act, for the words "Professional Examination Board", wherever they occur, the words "Employees Selection Board" shall be substituted.

Amendment of Section 4.

4. In Section 4 of the principal Act, in sub-section (1),—

(i) clause (a) shall be renumbered as clause (aa) and before clause (aa) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:—

"(a) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Government of Madhya Pradesh, General Administration Department;";

(ii) in clause (aa), for the words "Technical Education and Training Department", the words "Technical Education, Skill Development and Employment" shall be substituted;

(iii) in clauses (aa) to (f), before the words "Principal Secretary ", the words "Additional Chief Secretary or" shall be inserted.

Amendment of Section 19.

5. In Section 19 of the principal Act, in sub-section (1),—

(i) clause (b) shall be renumbered as clause (ba) and before clause (ba) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:—

"(b) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Government of Madhya Pradesh, General Administration Department;";

(ii) in clause (ba), for the words "Technical Education and Training Department", the words "Technical Education, Skill Development and Employment" shall be substituted;

(iii) in clauses (ba) to (d), before the words "Principal Secretary ", the words "Additional Chief Secretary or" shall be inserted.

Substitution of Section 25.

6. For Section 25 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Consequences to ensue on commencement of Amendment Act.

"25. As from the date of commencement of the Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 under sub-section (2) of Section 1, the following consequences shall ensue, namely:—

(a) the Madhya Pradesh Professional Examination Board, existing immediately before the date aforesaid, shall be merged in the Madhya Pradesh Employees Selection Board;

(b) all assets and liabilities of the existing Madhya Pradesh Professional Examination Board of the State Government shall vest in the Madhya Pradesh Employees Selection Board;

(c) all the employees belonging to or under the control of the existing the Madhya Pradesh Professional Examination Board shall be deemed to be the employees of the Madhya Pradesh Employees Selection Board established under Section 3:

Provided that the terms and conditions of service of such employees shall not be modified in such a manner that it is less favorable to them;

(d) all the records and papers of the existing the Madhya Pradesh Professional Examination Board shall vest in the Madhya Pradesh Employees Selection Board;

(e) any action or process in motion under the existing the Madhya Pradesh Professional Examination Board shall vest in the Madhya Pradesh Employees Selection Board.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.